Title: Re: Alleged flouting of rules in excavation of iron ore in Kanker district, Chhattisgarh.

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): एक निजी कंपनी के द्वारा तहसील भानुप्रतापपुर जिला- उ.ब. कांकेर, छ.ग. में नियम विरूद्ध खनन कार्य किया जा रहा है । बिना टीपी के लौह अयस्क का परिवहन करते पाया गया है । वनोपज जाँच नाका कच्चे द्वारा कार्यवाही की गई जिससे परिवहन का मामला उजागर हुआ तो कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय कथित रूप से जाँच नाका के कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई । किसानों के पट्टे वाली जमीन को बिना ग्रामीणों के सहमति से अधिग्रहण कर उत्खनन क्षेत्र को बढ़ाया गया है । लीज में ली गई भूमि के अतिरिक्त भूमि पर प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण किया गया है । माईंस एरिया से कथित रूप से गिट्टी मिक्सिंग कर अवैध रूप से ठेकेदारों को बेचा जा रहा है । परिवहन कार्य से धूल उड़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है । कृषकों की उपजाऊ जमीन खदान के लाल पानी की वजह से बंजर होती जा रही है । पर्यावरण का कथित रूप से खुला उल्लंघन किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के आधार पर नियम विरूद्ध किये जा रहे खनन कार्य को शीघ्र रोक लगाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे ।